प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद–रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड ,ननूरखेड़ा,देहरादून।

पत्रांकः सेवायें–02/ 632 /नियुक्ति/ दिनांकः 25 अप्रैल 2022

विषयः– सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति–पत्र विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 2019 में प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र इस निवेदन के साथ महोदय की सेवा में प्रेषित किये जा रहे हैं, कि नियुक्ति–पत्रों को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक–यथोपरि

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद–रूद्रप्रयाग

कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)जनपद–रूद्रप्रयाग

आदेश सॅख्या / सेवायें–2 / 52 / नियुक्ति / 2022–23 / दिनॉक 25 अप्रैल 2022

विज्ञप्ति

इस कार्यालय के विज्ञप्ति सॅख्या / सेवा–2 / 6792–95 / 2018–19 / दिनॉक 02 मार्च 2019 के द्वारा जनपद–रूद्रप्रयाग के दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड III (वेतनक्रम 35400–112400 लेवल 06) के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति–पत्र विभागीय बेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किये गये हैं।

अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है ,कि सम्बन्धित विद्यालय में 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(वाई0एस0चौधरी)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
जनपद –रूद्रप्रयाग

पृष्ठॉकन सॅख्या / / सेवायें / 633-38 / नियुक्ति / 2022–23 / दिनॉक उक्तवत्

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक ,प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड ,ननूरखेड़ा,देहरादून ।

2– अपर निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

3– मुख्य शिक्षा अधिकारी,जनपद–रूद्रप्रयाग ।

4– वित अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद–रूद्रप्रयाग।

5– सम्पादक अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम शासकीय दरों पर उत्तराखण्ड संस्करण में विज्ञापित करने एवं बिल अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

6– कार्यालय पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
जनपद –रूद्रप्रयाग

कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद–रूद्रप्रयाग

आदेश सॅख्या/सेवायें–2/ 53 /नियुक्ति/2022–23/दिनॉक 25 अप्रैल 2022

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा(अध्यापक)सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(पंचम संशोधन) सेवा नियमावली 2018 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्र सॅख्या/प्रा0शि0–दो(2) 19061–75/148(18)/2018–19 दिनॉक 14–12–2018, पत्र सॅख्या/प्रा0शि0–दो(2)/419/(II)–2020 /6118–21/2021–22/दिनॉक 14–9–2021 एवं पत्र सॅख्या/प्रा0शि0–दो (2)/536–2021/365–71/2022–23/ दिनॉक 05–04–2022 के अनुसार जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0/बी0टी0सी0 एवं सी0टी0ई0टी0/यू0टी0ई0टी0–I व एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी0एड0) एवं सी0टी0ई0टी0/यू0टी0ई0टी0–I उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 7 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनक्रम रू0 35400–112400 लेवल–06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सॅख्या–903/2019 एवं रिट याचिका सॅख्या–350/एस0एस0/2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी ,साथ ही एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी0एड0) प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 02 वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/ अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है ,जिसके किसी भी समय दोंनो ओर से एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह के वेतन देकर सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश सॅख्या/21/XXVII(7) अ0पें0यो0/2005 दिनॉक 25.10.2005 से अच्छादित होगी अर्थात् राजकीय सेवाओं में नई परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

क्र0 स0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	जाति	नियुक्त विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6	6	7	8
1	प्रियंका	श्री तिलकराम	मौहल्ला–तोलियान ,न्यू अंसारी मार्केट ,ज्वालापुर,हरिद्वार	18.04.1987	अनुसूचित जाति	रा0प्रा0वि0 बरम्वाड़ी , अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
2	नन्द किशोर	श्री गंगाराम	ग्राम–कौड़ार पो–देवली तहसील–धारी ब्लॉक ओखलकाण्डा ,नैनीताल	25.08.1986	अनुसूचित जाति	रा0प्रा0वि0 धिमतोली, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
3	पूनम प्रसाद	श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्या	नगारी गॉव नैनी बैण्ड,पो–भवाली नैनीताल	09.10.1989	अनुसूचित जाति	रा0प्रा0वि0धांदड, अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति

(वाई0एस0चौधरी) 25.4.22
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) रूद्रप्रयाग

पृष्ठॉकन सॅख्या/सेवायें–2/ 639-50 नियुक्ति/2022–23/दिनॉक उक्तवत्

प्रतिलिपि–निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी महोदय,जनपद–रूद्रप्रयाग।.
2. निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. अपर निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. बरिष्ठ कोषाधिकारी ,जनपद–रूद्रप्रयाग।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी ,जनपद–रूद्रप्रयाग।
6. प्राचार्य ,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ,रतूड़ा,जनपद–रूद्रप्रयाग।
7. वित अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,जनपद–रूद्रप्रयाग।
8. उपकोषाधिकारी ,अगस्त्यमुनि/जखोली/ऊखीमठ।
9. समस्त उपशिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद –रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के साथ समस्त अध्यापकों के शैक्षिक/प्रशिक्षण प्रमाण–पत्रों की जॉच/ सत्यापन सम्बन्धित संस्थान/ विश्वविद्यालय से छः माह के भीतर कर सत्यापन आख्या अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जॉच/सत्यापन पर होने वाले व्यय भार का भुगतान सम्बन्धित अध्यापकों के द्वारा किया जायेगा।
10. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नव नियुक्त शिक्षक/ शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके स्वस्थता प्रमाण–पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्त कर तथा उनके समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण–पत्रों की जांच कर लें एवं समस्त प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर 01 प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखें।
11. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका
12. कार्यालय प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा)
जनपद–रूद्रप्रयाग